न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 260 सन 2019

अनवान :–

1. धनपत पुत्र आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादीगण

2. इन्द्राज पुत्र आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. गुगनराम पुत्र आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. चन्द्रभान पुत्र आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. राजोदेवी पुत्री आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. चन्द्रावली पुत्री आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22/3/2021

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 198 की 22.12 बीघा भूमि स्थित थी जो आदुराम पुत्र जीवनराम जाति जांगिड ब्राहम्ण के कब्जा काश्त में थी जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 से साबित है।

साबिका खसरा न0 198 की कृषि भूमि के गत पैमाईश में भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में साबिका खसरा न0 198 से हाल खसरा न0 552 में परिवर्तन किया गया था इस प्रकार आदुराम पुत्र जीवनराम को साबिका खसरा न0 198 की 22.12 बीघा भूमि हाल खसरा न0 552 की 22.12 बीघा में परिवर्तन /पैमुद हो चुकी है जो आदुराम पुत्र जीवनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आदुराम पुत्र जीवनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है जिनके नाम वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 198 की 22.12 बीघा भूमि हाल खसरा न0 552 की 22.12 बीघा भूमि में पैमुद हो चुकी है एवं वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि आदुराम वल्द जीवनरामं के कब्जा काश्त में भूमि थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदुराम वल्द जीवनराम को उसी समय से खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय वाद भूमि वादी के पिता आदुराम वल्द जीवनराम के कब्जा काश्त में होने के कारण कानुन आदुराम वल्द जीवनराम खातेदार काश्तकार हो गया था तथा आदुराम वल्द जीवनराम के देहानत होने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है परन्तु वाद भूमि में से खसरा न0 552 की 22.12 बीघा भूमि में से 552 की 15.00 बीघा भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया शेष भूमि खसरा न0 552/2 की 7.12 बीघा भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिवर्तन की जाकर रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 552/2 की 1.5930हैक आदुराम वल्द जीवनराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो आदुराम पुत्र जीवनराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो आज वाद भूमि गैर खातेदारी दर्ज है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर वाद भूमि वादी निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 391/366 के खसरा न0 552/2 की 1.5930हैक भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 से पेरोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया की वादी सम्वत 2012 में काश्तकार होना साबित करे एवं रोही मोजा बडबिराना की भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है वादी वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 198 की 22.12 बीघा भूमि स्थित थी जो आदुराम पुत्र जीवनराम जाति जांगिड ब्राहम्ण के कब्जा काश्त में थी जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 से साबित है।

साबिका खसरा न0 198 की कृषि भूमि के गत पैमाईश में भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में साबिका खसरा न0 198 से हाल खसरा न0 552 में परिवर्तन किया गया था इस प्रकार आदुराम पुत्र जीवनराम को साबिका खसरा न0 198 की 22.12 बीघा भूमि हाल खसरा न0 552 की 22.12 बीघा में परिवर्तन /पैमुद हो चुकी है जो आदुराम पुत्र जीवनराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आदुराम पुत्र जीवनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है जिनके नाम वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 198 की 22.12 बीघा भूमि हाल खसरा न0 552 की 22.12 बीघा भूमि में पैमुद हो चुकी है एवं वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि आदुराम वल्द जीवनरामं के कब्जा काश्त में भूमि थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदुराम वल्द जीवनराम को उसी समय से खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय वाद भूमि वादी के पिता आदुराम वल्द जीवनराम के कब्जा काश्त में होने के कारण कानुन आदुराम वल्द जीवनराम खातेदार काश्तकार हो गया था तथा आदुराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है परन्तु वाद भूमि में से खसरा न0 552 की 22.12 बीघा भूमि में से 552 की 15.00 बीघा भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया शेष भूमि खसरा न0 552/2 की 7.12 बीघा भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिवर्तन की जाकर रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 552/2 की 1.5930हैक आदुराम वल्द जीवनराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो आदुराम पुत्र जीनराम के देहानत होने पर उनके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो आज वाद भूमि गैर खातेदारी दर्ज है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर वाद भूमि वादी निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 391/366 के खसरा न0 552/2 की 1.5930हैक भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो वादी अपना वाद साबित करे एवं रोही मौजा बडबिराना वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है इसलिये वादी निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 391/366 के हाल खसरा न0 552/2 की 1.5930हैक भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 2 ता 6 के नाम से सयुक्त खाते में गैरखातेदार के रूप में दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मोजा बडबिराना की जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2011 के साबिका खसरा न0 198 की कुल 32.12 बीघा भूमि आदुराम वल्द जीवनराम के नाम दर्ज थी तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 के साबिका खसरा न0 198 की 32.12 बीघा भूमि आदराम वल्द जीवनराम के नाम से दर्ज थी इसीप्रकार जमाबन्दी /गिरदावरीयो सम्वत 2016 से 2019 की साबिका खसरा न0 198 की 32.12 बीघा भूमि आदुराम वल्द जीवनराम के नाम दर्ज चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावरीयो

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Scanned with CamScanner

से पूर्णत्या साबित होता है अर्थात आदुराम वल्द जीवनराम सम्वत 2012 से पूर्व का काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश सम्वत 2020 के दोरान रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 198 की 32.12 बीघा भूमि को हाल खसरा न0 552 की 22.00 बीघा भूमि में पैमुद किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है इसी आधार पर भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 तैयार की जाकर हाल खसरा न0 552 की 22.00 बीघा भूमि आदुराम वल्द जीवनराम के नाम दर्ज की गई जिसके सम्बध में वादी/पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है आगामी जमाबन्दीयो मे आदुराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने पर आदुराम वल्द जीवनराम के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम से दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो गिरदावरीयो से पूर्णत्या साबित है

इसप्रकार प्रकार वाद भूमि रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 198 की 22.00 बीघा भूमि को हाल खसरा न0 552 की 22.00 बीघा भूमि में परिवर्तन एवं पैमुद किया गया जाकर आदुराम वल्द जीवनराम के नाम से दर्ज की गई थी अर्थात सम्वत 2012 से पूर्व लेकर सम्वत 2038 तक वाद भूमि आदुराम वल्द जीवनरामं के नाम से दर्ज थी एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है तत्पश्चात आदुराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने पर आदुराम के वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम से जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में दर्ज चली आ रही है एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दीयो/गिरदावारीयो के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 198 की 22.00 हाल खसरा न0 552 की 22.00 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पहले आदुराम वल्द जीवनराम के नाम व कब्जा काश्त में रही आदुराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम व कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात आदुराम वल्द जीवनराम सम्वत 2012 से पूर्व का काश्तकार है।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसकी धारा 15 मे प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि काश्त करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात सम्वत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरीयों में जो भूमि जिसके कब्जा काश्त में थी वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है/राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के तावें वादी का पिता आदुराम वल्द जीवनराम जो सम्वत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरी में बतौर काश्तकार दर्ज होने के कारण खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था यदि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज नही किये जाने से आदुराम वल्द जीवनराम के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह आज भी उक्त अधिनियम के तावे बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

आदुराम वल्द जीवनराम साबिका खसरा न0 198 की 32.12 बीघा जो हाल खसरा न0 552 की 22 बीघा में पैमुद की गई है जो भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी से साबित है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है पूर्व मे उक्त भूमि में से खसरा न0 552/1 की 15.00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा चुका है शेष भूमि खसरा न0 552/2 की 1.5930हैक का गैरखातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा न0 552 की 22.00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था प्रस्तुत रिकार्ड से सहवन से 7.00 बीघा भूमि खातेदारी काश्तकार के रूप में दर्ज होने से रह गई है जिसे आदुराम के वारिसान बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेराकार राज का कथन है कि वाद भूमि उपनिवेशन अधिनियम में आने के कारण किमतन खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते हे राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु पेरोकार राज का कथन से सहमत है एवं वादी भी वाद भूमि की किमत अदा करने को तेयार है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र मे आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस

उपखण्ड अधिकारी
सोल

Scanned with CamScanner

परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment"

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/साक्ष्य /सबुतो के आधार पर वादी के पूर्वज आदुराम वल्द जीवनराम सम्वत 2012 से पूर्व के काश्तकार साबित होने के कारण एव आदुराम वल्द जीवनराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वाद भूमि रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 361/366 के खसरा न0 542/2 की 1.5930हैक भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र (भाखडा परियोजना क्षेत्र) में आने के कारण राज्यहको के मध्यनजर किमतन खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है जिसके सम्बध में वादी ने किसी प्रकार का ऐतराज जाहिर नही किया बल्की सहमति जाहिर की गई है।

अतः वाद वादी उपरोक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 361/366 के खसरा न0 542/2 की कुल 1.5930हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर्ज 4000/- प्रतिबीघा का (वादी सामान्य जाति का होने के कारण) 20 प्रतिशत 800/-रू प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिव का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2011 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. धनपत पुत्र आदुराम जाति जागिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादीगण

2. इन्द्राज पुत्र आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. गुगनराम पुत्र आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. चन्द्रभान पुत्र आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. राजोदेवी पुत्री आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. चन्द्रावली पुत्री आदुराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 260 सन 2019 निर्णय दिनांक – 22/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर (आरएएस) उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति मे अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 361/366 के खसरा न0 542/2 की कुल 1.5930हैव भूमि जो वर्तमान मे भाखडा परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर्ज 4000/– प्रतिबीधा का (वादी सामान्य जाति का होने के कारण) 20 प्रतिशत 800/–रू प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिव का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 22/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर गजमें आम में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़ी)

Scanned with CamScanner